पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

(भारत सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन प्रबंधन प्रभाग

<u>कॉर्पोरेट कार्यालय , सेक्टर 10, द्वारका , नई दिल्ली -110075</u>

आवेदन फॉर्म और नकद वाउचर डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि	**27-01-2021**
आवेदन फॉर्म और नकद वाउचर डाउनलोड करने की अंतिम तिथि (जिसमें दूर-दराज के क्षेत्रों के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं)	**15-02-2021**
हमारे कार्यालय में सभी संलग्नकों के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि। (केवल स्पीड/पंजीकृत डाक के माध्यम से)	**15-02-2021**

1. बैंक भारतीय नागरिकों से अधिकारी संवर्ग में **प्रबंधक–सुरक्षा** के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करता है, जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:

सं.एवं पदों का प्रकार	**01.01.2021 को आयु**	**शैक्षिक योग्यता और चिकित्सा स्वास्थ्य**	**01.01.2021 को शैक्षिक योग्यता पश्चात कार्य अनुभव एवं अन्य शर्ते**
100 **प्रबंधक** (सुरक्षा)	न्यूनतम- 21 वर्ष अधिकतम- 35 वर्ष	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि शेप- 1 या समकक्ष	एक अधिकारी जिसने कमीशंड अधिकारी के रूप में भारतीय सेना/ नौसेना/ वायु सेना में 6 th पे कमीशन ग्रेड पे Rs ५४००/-पर या 7 th पे कमीशन के मैट्रिक्स स्तर 10 पर सेवा प्रदान की हो: - या - राजपत्रित अधिकारी के रूप में पुलिस/ अर्ध सैनिक बल/ केंद्रीय पुलिस संगठन में सहायक कमांडेंट/ पुलिस उप - अधीक्षक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा 6 th पे कमीशन ग्रेड पे Rs ५४००/-पर या 7 th पे कमीशन के मैट्रिक्स स्तर 10 पर प्रदान की हो।

2. **<u>वेतनमान</u> : -** 48170-1740/1-49910-1990/10-69810 के अलावा बैंक नियमों के अनुसार अन्य भत्ते जैसे डीए, एचआरए आदि।
3. **<u>तैनाती</u>.–** बैंक की आवश्यकता के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को भारत में किसी भी स्थान पर तैनात किया जाएगा।
4. **<u>आरक्षण का विवरण.</u>**

कैडर/स्केल	**पदों की संख्या**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.व**	**अ.क.व**	**सामान्य**
एमएमजी स्केल - II	100	**15**	**8**	**27**	**10**	**40**

(ए) रिक्तियों/ आरक्षित रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अलग हो सकती है। आरक्षण में आरक्षित रिक्तियों का बैकलॉग भी सम्मिलित है। कृपया ध्यान दें कि बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ग में विभिन्न पदों के संबंध में आरक्षण तय किया जाएगा।

(बी) आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार जिनके लिए किसी भी रिक्ति की घोषणा नहीं की गई है, वे अनारक्षित / सामान्य श्रेणी के लिए घोषित रिक्तियों हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

(a) **उपयोग किए गए संकेतन** : अ.जा. – अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. – अनुसूचित जनजाति,अ.पि.व – अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.क.व. –आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य-सामान्य श्रेणी,

5. <u>**अधिकतम आयु सीमा में छूट**</u>

(i)	अनुसूचित जाति– अनुसूचित जनजाति	**5 वर्ष**
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	**3 वर्ष**
(iii)	01.01.80 से 31.12.89 के दौरान जम्मू और कश्मीर के सामान्य नागरिक रहे हों।	**5 वर्ष**
(iv)	1984 के दंगों में मरने वालों के बच्चों/परिवार के सदस्य	**3 वर्ष**
(v)	पूर्व सैनिक	**सशस्त्र बलों में की सेवा अवधि 3 वर्ष** आयु की समस्त छूट सहित आयु**,** 40 **वर्ष से अधिक नहीं** होनी चाहिए

6. <u>**चयन प्रक्रिया**:</u>

(ए) चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए साक्षात्कार के एक भाग के रूप में निबंध / पत्र प्रारूपण परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से कोई उम्मीदवार चयन हेतु बुलाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(बी) केवल शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

7. <u>**आवेदन शुल्क/ सूचना शुल्क (गैर वापसी योग्य)**</u>:

(ए) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए**,**रु. 50/- के सूचना शुल्क के अलावा **कोई आवेदन शुल्क** नहीं है।

(बी**)** अन्य सभी के लिए **आवेदन शुल्क रु. 500 / - है।**

8. <u>**शुल्क जमा करने की प्रक्रिया:**</u>

पंजाब नैशनल बैंक की किसी भी शाखा में आवेदन शुल्क का भुगतान नकद में किया जाएगा। शुल्क जमा करने से पूर्व**,** अभ्यर्थी को हमारी वेबसाइट **www.pnbindia.in** लिंक **<भर्ती>** से कैश वाउचर दो प्रतियों में डाउनलोड करना होगा।इसे **13.02.2021 को या उससे पहले आवेदन शुल्क/ सूचना शुल्क के साथ, शाखा में विधिवत भरा और प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भुगतान के बाद, उम्मीदवार को शाखा में कैशियर से**

नकद वाउचर की अपनी प्रति प्राप्त करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि जेनरेट की गई लेन-देन आईडी कैशियर द्वारा नकद वाउचर में दर्ज की गई हो।

9. आवेदन की प्रक्रिया :

(ए) उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट **www.pnbindia.in लिंक <रिक्रूटमेंट>** पर लॉग-ऑन करना होगा और निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, उसे भरने के बाद और नकदी जमा वाउचर की एक प्रति और अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ लिफाफे में उपरिलिखित "प्रबंधक-सुरक्षा के पद के लिए आवेदन" नीचे दिए गए पते पर **स्पीड/पंजीकृत डाक के माध्यम से** प्रेषित करेंगें।

मुख्य प्रबंधक (भर्ती अनुभाग), एचआरएम प्रभाग, पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट ऑफिस सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075

(बी) अपूर्ण आवेदन, नकद वाउचर और सहायक दस्तावेजों द्वारा समर्थित न होने (अर्थात ऊपर उल्लिखित शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्र की सम्बद्ध प्रतियां) या आवेदन निर्धारित प्रारूप में न होने या उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित न होने पर या किसी भी संबंध में अधूरा होने पर, बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

(सी) अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन प्रपत्र और नकद वाउचर (मूल रूप में) की फोटोकॉपी रखनी चाहिए क्योंकि साक्षात्कार के समय इसे प्रस्तुत किया जाना है।

(डी) सभी अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वयं-प्रमाणित फोटो प्रतियां अपने आवेदन के साथ भेजें।

(ई) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्लूएस श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को भी अपनी जाति/ ओबीसी / ईडब्लूएस प्रमाण पत्र की एक स्वयं सत्यापित फोटोस्टेट प्रतिलिपि भेजनी आवश्यक है।

10. सामान्य निर्देश

(ए) बैंक के पास किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने/समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों के लिए बैंक का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। भर्ती प्रक्रिया निरस्तीकरण के मामले में, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों के लिए बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित या बैंक के पास पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ईमेल आईडी पर भेजी गई किसी भी सूचना/पत्राचार को समस्त उद्देश्यों के लिए उम्मीदवारों के साथ संचार प्रेषण का पर्याप्त साधन माना जाएगा।

(बी) अभ्यर्थी के पास एक वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया जाए और भर्ती प्रक्रिया जारी रहने के दौरान बुलावा पत्र और अन्य पत्राचार, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए सक्रिय रखा जाए।

(सी) चयनित उम्मीदवारों को बैंक की आवश्यकता के अनुसार भारत में किसी भी स्थान पर तैनात किया जाएगा।

(डी) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा नहीं किए जाने चाहिए। एकाधिक आवेदन/पंजीकरण तुरंत खारिज कर दिए जाएंगे और आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। **किसी भी रूप में अनुयाचन करना अयोग्यता करार दिया जाएगा |**

(ई) आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता/करती है। एक बार जमा हो जाने पर आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान कर दिए जाने पर आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार न तो वापस किए जाएंगे और न ही किसी भी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि कोई अभ्यर्थी पद, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए अयोग्य पाया जाता है तो बैंक किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। उम्मीदवारों की योग्यता, वह चरण जिस पर योग्यता की जांच की जानी है, अर्हता और अन्य योग्यता मानदंड, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज आदि और भर्ती से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक किसी भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं करेगा। यदि नियुक्ति के पश्चात् भी कोई कमी (याँ) पाई जाती है/हैं, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

(एफ) विज्ञापन के निमित्त आवेदन करने तथा विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने मात्र से ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा । केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा ।

(जी) एक नवीनतम, पहचान योग्य रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, जैसा आवेदन पत्र में दिया गया है, को साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र पर अच्छे से चिपकाया हुआ और अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपना भेष नहीं बदलने की सलाह दी जाती है| साक्षात्कार के समय वैसा ही फोटोग्राफ प्रस्तुत करने में असफल रहने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्थानों पर जैसे बुलावा पत्र, उपस्थिति पत्रक आदि में किए गए हस्ताक्षरों और भविष्य में बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचारों में हस्ताक्षर समान होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई विविधता नहीं होनी चाहिए ।

(एच) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मूल जाति/दिव्यांगता/प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा करने में असफल रहने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। आरक्षण का लाभ उठाने वाले अ.पि.व अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय नॉन-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ अ.पि.व प्रमाणपत्र और पंजीकरण की अंतिम तिथि को नॉन क्रीमी लेयर की स्थिति के बारे में निर्धारित प्रारूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा । जाति/दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को नीचे बिंदु संख्या 11 पर परिभाषित किया गया है। **जाति/दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत केवल उन्हीं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। अ.पि.व वर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के तहत आने वाले अभ्यर्थी और/या यदि उनकी जाति को केंद्रीय सूची में स्थान नहीं मिलता है तो वे अ.पि.व आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें आवेदन पत्र में अपना वर्ग सामान्य के रूप में दर्शाना चाहिए ।**

(आई) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण: ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख केवल) से कम है, को आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के सभी आय स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी।

(जे) यह भी कि ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से किसी का भी स्वामित्व है या उसके कब्जे में है, को ईडब्ल्यूएस के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, भले ही उसके परिवार की आय जो भी हो :-

(i) 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि;

(ii) 1000 व.फी. और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

(iii) अधिसूचित नगर-निगम में 100 वर्ग गज और उससे अधिक की आवासीय भूमि;

(iv) अधिसूचित नगर-निगम के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक की आवासीय भूमि;

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं ।

(के) सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित) में सेवारत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसके न होने पर उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

(एल) अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय कोई भी गलत, मिथ्या, मनगढ़ंत जानकारी नहीं देनी चाहिए या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए।

(एम) यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो सभी अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के समर्थन में अपने शैक्षणिक/अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ-साथ स्वप्रमाणित फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा करने में असफल होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी |

(एन) बेरोजगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, साक्षात्कार में भाग लेने के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार यात्रा का साक्ष्य अर्थात् रेलवे रसीद/टिकट प्रस्तुत करने पर सबसे छोटे मार्ग के लिए द्वितीय श्रेणी रेल/साधारण बस से आने-जाने के वास्तविक किराए का भुगतान किया जाएगा।

(ओ) बैंक किसी भी पत्राचार में किसी प्रकार की देरी होने/प्राप्त न होने या क्षति के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है ।

(पी) इस विज्ञापन के तहत भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित और/या उपजा कोई भी विवाद दिल्ली के एनसीटी में स्थित न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

(क्यू) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सकीय रूप से योग्य घोषित किए जाने के अधीन है। इस तरह की नियुक्ति बैंक की सेवा, आचरण नियमों और नीतियों के भी अधीन होगी ।

(आर) अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि यदि वे चयनित होते हैं, तो उन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बैंक की सेवा करने के लिए निम्नानुसार प्रतिभू के साथ क्षतिपूर्ति बॉन्ड निष्पादित करना होगा। यदि वह निर्दिष्ट अवधि से पहले बैंक के नियमों/विनियमों के अनुसार त्याग पत्र सौंप देता/देती है या अपनी सेवा छोड़/त्याग देता/देती है और/या सौंपे गए कार्यों की उपेक्षा करता है जिसके कारण उसकी सेवाएं समाप्त करने की स्थिति उत्पन्न होती है, वह सभी हानियों, लागतों, प्रभारों और व्ययों के लिए बॉन्ड राशि की सीमा तक बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा/करेगी। चयनित अधिकारी बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व क्षतिपूर्ति बांड का निष्पादन करेंगे |

पद –संवर्ग	बॉन्ड की राशि	बॉन्ड अवधि
एमएमजी संवर्ग – II	रु. 2 लाख	03 वर्ष

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्लूएस/पीसी के लिए प्रमाण पत्र बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी**:**

(ए) अनु.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व के लिए**:** जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त/उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम रैंक का न हो/उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

(बी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए: केवल अनुलग्नक-**I** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही निम्नलिखित में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम रैंक का न हो तथा

(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

सी) <u>बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए :</u> कार्यों के स्वरुप के कारण दिव्यांगजन को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

नई दिल्ली **महाप्रबंधक**

……………… **(मा.सं.प्र.प्र)**